हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहका[म] जो इस हुक्म की ता[मील] में जारी हुए
20/6/25 पत्रावली पेश। वकील पक्षकार उपस्थित कार्यवाही मय कार्यवाही पत्र प्रस्तुत किया जाकर की पत्रावली में निष्पादन निर्णय प्रस्तुत किया जाकर पत्रावली शामिल किया अतः पत्रावली में रह सुनवाई के नम्बर से मय ये पत्रावली जरिये लेखक नाजिर से शामिल हो [signature] उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर. खैरथल तिजारा राज0

पीठासीन अधिकारी :– सुरेश कुमार बलाई, (आर.ए.एस)

प्रार्थना पत्र संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
157 / 2023	28.08.2023	20.06.2025

बउनवान

1. मनोज कुमार पुत्र श्री बल्लूराम
2. सतपाल पुत्र श्री बल्लूराम जातियान अहीर निवासी मुण्डावर तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

:– प्रार्थी

बनाम

1. विजय सिंह
2. विक्रम सिंह पुत्र श्रीराम
3. शकुन्तला पत्नी जयसिंह
4. तेजसिंह पुत्र श्री जयसिंह
5. निर्मला पत्न प्रतापसिंह
6. पूनम पुत्री प्रतापसिंह
7. शर्वेश पुत्र श्री प्रतापसिंह
8. रामावतार पुत्र श्री रामसहाय
9. कामराज पुत्र श्री रामसहाय
10. वीरसिंह पुत्र श्री रामसहाय
11. रामकलां पुत्री रामसहाय
12. सरोज
13. मुकेश
14. विधा देवी पत्नी रामसहाय जातियान अहीर निवासीयान मुण्डावर तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
15. नानगा पुत्र श्री झम्मनदास जाति सिंधी निवासी मुण्डावर तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
16. राजस्थान सरकार बजरिये लैण्ड होल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय, मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
17. श्रीमान उपपंजियक महोदय मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
18. श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय पंजाब नेशनल बैक शाखा मुण्डावर तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
19. श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय बडोदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैक शाखा मुण्डावर तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

20. श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय एस बी बी जे शाखा मुण्डावर तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

—: अप्रार्थीगण

श्री जगन्नाथ यादव —: प्रार्थी अधिवक्ता
श्री देवेश कुमार —: अप्रार्थी अधिवक्ता

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि

1. यह है कि उपरोक्त अनुवान का प्रार्थना पत्र अदालत श्रीमान के समक्ष विस्तृत वाकेयात के साथ पेश किया जा रहा है। जिसमे मिन प्रार्थीगण को कामयाबी की पूरी पूरी आशा है।
2. यह है कि उपरोक्त अनुवान के प्रार्थना पत्र में मिन प्रार्थीगण ने दस्तावेजात व शपथ पत्र पेश किया है। जिससे प्रार्थीगण का केस प्रायमा फैसाई पूर्णत आयद वो साबित है।
3. यह है कि आराजी ख0 नं0 हाल 2984/4.73 हैक०, वाके ग्राम मुण्डावर तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राजस्थान में स्थित है। जो आराजी उक्त प्रार्थना पत्र में विवादित आराजी कहलायेगी। नकल जमाबन्दी हाल संलग्न प्रार्थना पत्र है।
4. यह है कि उक्त विवादित आराजी मिन प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं0 1 ल0 15 की कब्जे काश्त सामलाती खातेदारी की आराजी है तथा मौके पर सामलात में काबिज होकर काश्त कर रहे है, राजस्व रिकोर्ड में सामलाती खातेदारी दर्ज है तथा लगान राजस्व सामलात में जमा कराते आ रहे है।
5. यह है कि उक्त विवादित आराजी मिन प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं0 1 ल0 15 की सामलाती आराजी है उक्त आराजी का आज तक कोई लिखीत व मौखिक बंटवारा नहीं हुआ है अबैट आराजी है लेकिन अप्रार्थी सं0 1 ल0 15 मिन प्रार्थीगण को अपने हिस्से अनुसार सामलात में उपयोग और उपभोग करने में बाधा पहुंचा रहे है। मिन प्रार्थीगण सीधे सज्जन व्यक्ति है अप्रार्थी सं0 1 ल0 15 एकराय होकर सामलाती आराजी से मिन प्रार्थीगण को बेदखल कर निर्माण कार्य करने की एलानिया धमकी दे रहे है, बार बार आराजी को खुर्द बुर्द करने पर उतारू है। जबकि कानूनन सामलाती आराजी पर हर हिस्सेदार का हर इंच इंच पर कब्जा माना गया है। जिस कारण मिन प्रार्थीगण का सामलात में काश्त करना नामुमकिन हो रहा है। इसलिये प्रार्थना पत्र तकासमा पेश करना लाजिम आया है।
6. यह है कि मिन प्रार्थीगण के खातेदारी के अधिकार कानून द्वारा सुरक्षित है और सामलाती आराजी पर हर कोशेयर का सामलात में हर इच इंच पर कब्जा कानूनन माना जाता है और अगर अप्रार्थी सं० । ल० 15 अपने नापाक इरादो में कामयाब हो गये तो मिन प्रार्थीगण को अजहद क्षति होगी

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

जिसकी भरपाई करना नामुमकिन है जबकि प्रार्थना पत्र में प्राईमा फेसाई केश व सुविधा का सन्तुलन बहक प्रार्थीगण के पक्ष में है। जिस हेतू मिन प्रार्थीगण अप्रार्थी सं0 1 ल0 15 को पाबंद कराने के अधिकारी है।

7. यंह है कि मिन प्रार्थीगण उक्त सामलाती आराजी का मुताबिक राजस्व रिकोर्ड के बाद कुरेजात के अच्छी में से अच्छी और बुरी में से बुरी आराजी का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स आराजी का बंटवारा कराने के अधिकारी है।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से अनुतोष चाहा गया है कि

अतः प्रार्थना पत्र पेशकर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वो आराजी ख0 नं0 हाल 2984/4.73 है0, वाके ग्राम मुण्डावर तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राजस्थान में अप्रार्थी सं0 1 ल0 15 मिन प्रार्थीगण के काश्त कार्य में बाधा ना पहुंचावे ना निर्माण करे ना प्रार्थीगण के मकानो से लगती हुयी उक्त आराजी से मिट्टी उठाकर बेचान करे तथा ना ही गहरा गड्ढा खोदकर प्रार्थीगण के मकानो को क्षति पहुंचाये तथा सामलाती आराजी को दिगर जगह रहन बैय हिबा इत्यादि से मुन्तकिल ना करे तथा अप्रार्थी सं0 16 व 17 को पाबंद किया जावे कि वो विवादित आराजी से संबंधित कोई दस्तावेज तस्दीक व पंजीबद्ध ना करे रिकोर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे। पाबंद किया जावे। हल्फनामा संलग्न है।

जवाब प्रार्थना पत्र ओदश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 जा० दी० व धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मिन अप्रार्थी सं० 4, 8, 9, 10, 14 की ओर से निम्न प्रकार पेश है।

1. यह है कि प्रार्थना पत्र का जिम्मन नं0 1 बाबत प्रार्थना पत्र है, गलत है, प्रार्थी को कामयाबी की आशा नहीं रखनी चाहिए।
2. यह है कि प्रार्थना पत्र का जिम्मन नं0 2 गलत है, स्वीकार नहीं है, प्रार्थी ने दस्तावेज गलत पेश किये है, तथा शपथ पत्र भी गलत है, प्रार्थी का केश प्रायमा फैसाई साबित नहीं होता है।
3. यह है कि प्रार्थना पत्र का जिम्मन नं0 3 बाबत आराजी है जो वाके ग्राम मुण्डावर तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राजस्थान में स्थित है सही है स्वीकार है।
4. यह है कि प्रार्थना पत्र का जिम्मन नं0 4 इतना स्वीकार है कि विवादित आराजी प्रार्थी व अप्रार्थीगण की सामलाती कब्जे काश्त की आराजी है। मिन अप्रार्थीगण मुताबिक रिकोर्ड काबिज काश्तकार है। तथा उक्त आराजी का अर्सा दराज से बंहामी बंटवारा कर रखा है तथा अपने बंहामी बंटवारे के अनुसार अलग अलग काबिज होकर काश्त कर रहे है मौके पर कोई विवाद आराजी पर नहीं है।
5. यह है कि प्रार्थना पत्र का जिम्मन नं0 5 इतना स्वीकार है कि उक्त आराजी प्रार्थी व अप्रार्थीगण की सामलाती कब्जे काश्त की आराजी है। बाकी जिम्मन गलत है स्वीकार नहीं है। उक्त आराजी का बुजुर्गान के

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

समय से बंहामी बंटवारा कर रखा है तथा बंहामी बंटवारे के अनुसार अपने अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त कर रहे है मौके पर कोई विवाद आराजी पर नहीं है। उक्त आराजी में अप्रार्थी सं0 4 अपने मकानो का निर्माण कर रहा था जिसे रूकवाने के लिये प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है जबकि पूर्व में अप्रार्थी सं0 4 ने उक्त आराजी में अपने हिस्से पर भी रिहायसी मकान बनाये हुये है। प्रार्थी ने निहायत झूठे व आधारहीन तथ्यों के आधार पर मिन अप्रार्थी सं0 4 के निर्माण को रूकवाने की नियत से उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है जो चलने योग्य नहीं है काबिल खारिज है खारिज फरमाया जावे। इसलिये प्रार्थी पुनः बंटवारा कराने के अधिकारी नहीं है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज है खारिज फरमाया जावे।

6. यह है कि प्रार्थना पत्र का जिम्मन नं0 6 गलत है स्वीकार नहीं है। प्रार्थी को उक्त प्रार्थना पत्र में कोई सुविधा का सन्तुलन व नापूर्ती होने वाली क्षति कारित नहीं होती है। प्रार्थी मिन अप्रार्थीगण को हु0 ई0 दवामी से पाबंद कराने के अधिकारी नहीं है।
7. यह है कि प्रार्थना पत्र का जिम्मन नं0 7 गलत है स्वीकार नहीं है। उक्त आराजी का अर्सा दराज से बंहामी बंटवारा हो रहा है तथा बंहामी बंटवारे के आधार पर ही प्रार्थी व अप्रार्थीगण काबिज है। प्रार्थीगण के हिस्से आराजी सडक व रास्ते पर आयी हुयी है तथा अप्रार्थीगण के हिस्से आराजी सडक व रास्ते से पीछे आयी हुयी है इसलिये अच्छी में से अच्छी और बुरी में से बुरी आराजी का तकासमा प्रतिवादीगण कराने के अधिकारी है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेशकर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे। श्रीमानजी की महति कृपा होगी।

प्रार्थी वकील ने अपनी बहस के दौरान कथन कहे कि विवादित आराजी वाके ग्राम मुण्डावर में स्थित है। विवादित आराजी में प्रार्थी व अप्रार्थी ने आपसी सहमती से बटवारा कर काश्त कर रहे है। अप्रार्थी विवादित आराजी मे आये दिन आपसी सहमती हो रहे बटवारे की डोल को मिसमीनार कर रहे है। जब्रन प्रार्थी के हक हिस्से को कब्जा करना चाहते है। विवादित आराजी पर अप्रार्थी द्वारा जब्रन निर्माण किये जाने की धमकी देते है। अप्रार्थी को प्रार्थी द्वारा आराजी पर जब्रन कब्जा नही किये जाने बाबत का निवेदन किया गया परन्तु अप्रार्थी अपनी हरकतो से बाज नही आ रहे है। इसलिए अप्रार्थी को प्रार्थी के मूल वाद का अन्तिम निर्णय होने तक पाबन्द किये जाने का श्रम करे।

अप्रार्थी वकील ने अपनी बहस के दौरान कथन कहे कि यह कहना सही है कि विवादित आराजी में प्रार्थी व अप्रार्थी सहखातेदार काश्तकाश्त दर्ज रिकोर्ड है और प्रार्थी व अप्रार्थी के आपसी बटवारे के अनुसार विवादित आराजी पर कब्जे के अनुरूप ही कृषि कार्य कर रहे है। अप्रार्थी ने कभी भी प्रार्थी के हिस्से में

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

आई आराजी पर जब्रर कब्जा नही करना चाहा है। अप्रार्थी शान्ति प्रिय व्यक्ति है, कानून की पालना करता है। कभी भी प्रार्थी व अप्रार्थी के बीच में कोई विवादित आज दिनांक तक नही हुआ है। विवादित आराजी पर प्रार्थी जब्रन कोई निर्माण नही कर रहा है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगणा को परेशान करने की नियत से, मनगढत, मिथ्या, बनावटी कहानी बनाकर यह प्रार्थना पत्र श्रीमान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। विवादित आराजी में प्रार्थी सहखातेदार है। विभिन्न माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किये गये है कि किसी खातेदार काश्तकार को किसी विशेष परिस्थितियो में ही स्थगन आदेश से पाबन्द किया जा सकता है। प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र, दस्तावेजात व साक्ष्य से यह साबित नही कर पाया कि किस विशेष परिस्थितियो के कारण अप्रार्थी को स्थगन आदेश से पाबन्द किया जावें। इसलिए प्रार्थी अप्रार्थीगण को स्थगन आदेश से पाबन्द करवाने का अधिकारी नही है।

पत्रावली, पत्रावली में सलग्न दस्तावेजात का अवलोकन व बहस उभयपक्ष अधिवक्ता पर मनन करने पर प्रार्थना पत्र का विवेचन इस प्रकार है कि विवादित आराजी में प्रार्थी व अप्रार्थी सहखातेदार काश्तकार दर्ज है। किसी खातेदार काश्तकार को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया जा सकता है। प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य/दस्तावेजात प्रस्तुत नही किया गया, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि अप्रार्थी प्रार्थी को किस प्रकार क्षति पहुचा सकता है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन व नापूर्ति होने वाली क्षति अप्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होती है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को यह न्यायालय स्वीकार योग्य पाता है।

आदेश

उक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थना पत्र को अस्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है एवं आराजी खसरा नम्बर 2984/4.73 है0 वाके ग्राम मुण्डावर तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0 पर जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 20.06.2025 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

(सुरेश कुमार बलाई)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0

Scanned with OKEN Scanner